



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh




IN-UP00892906134913V

e-Stamp

Signature:
ACC No: UP14231104
AC: UP14231104
ACC Address: Registrar Office, Hardoi
Mobile: 9451047738
License No: A/17 Teh & Dist Hardoi

Certificate No. : IN-UP00892906134913V
Certificate Issued Date : 29-Aug-2023 03:13 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14231104/ HARDOI SADAR/ UP-HRD
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1423110497362592670811V
Purchased by : NANDRANI COLLEGE OF PHARMACY
Description of Document : Article 4 Affidavit
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) :
First Party : NANDRANI COLLEGE OF PHARMACY
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : NANDRANI COLLEGE OF PHARMACY
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
(One Hundred only)



Please write or type below this line



शपथ-पत्र

हम श्रीराम अनिल एवं श्रीमती नंदरानी अध्यक्षा एवं सचिव डॉ० बी० आर० अम्बेडकर एडुकेशनल एन्ड वेलफेयर सोसाइटी 74 आनू थोक उत्तरी भद्रा पुरवा हरदोई शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं

1. यह कि हमारी सोसाइटी डॉ० बी० आर० अम्बेडकर एडुकेशनल एन्ड वेलफेयर सोसाइटी, तेरिया जगदीसपुर साहाबाद रोड हरदोई में नंदरानी कालेज आफ फार्मसी संस्थान की स्थापना सन्-2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

नंदरानी

Statutory Alert

The validity of this e-stamp certificate should be verified at www.eshastamp.com/ or using e-Stamp Mobile App of Stock Exchange of India. The absence of the e-stamp on the Certificate and its availability on the website / Mobile App renders it invalid. The absence of the e-stamp on the Certificate and its availability on the website / Mobile App renders it invalid. The absence of the e-stamp on the Certificate and its availability on the website / Mobile App renders it invalid.

2. यह कि हमारी सोसाइटी / डॉ० बी० आर० अम्बेडकर एडुकेशनल एन्ड वेलफेयर सोसाइटी में गाटा संख्या-269, कुल रकबा -1.0530 गज -तेरिया में 1.0530 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 269 एवं रकबा 1.0530 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी हेक्टेयर (कुल रकबा संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/9/0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करेगा यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० सचिव

NR 4/11

ह० अध्यक्ष

[Handwritten Signature]



21/11/23

Sworn & Verified
before me